न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 398 सन् 2015
पंजीयन दिनांक :– 15.12.2015

लालुराम पिता खेमा जाति कुमावत निवासी चित्तौडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट/वादी

विरूद्ध

1. ग्राम पंचायत एराल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत एराल तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला चित्तौड़गढ

रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ
प्रकरण संख्या 15/2012 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015

उपस्थित :– 1. खुमराज कुमावत– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांकः– 24.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा चित्तौडी तहसील चित्तौड़गढ मे साबिक आराजी नम्बर 170/124 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रही है जिस पर अपीलान्ट वादी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त साबिक आराजी के नवीन आराजी नम्बर 231,233,234 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर कायम किये, जबकि साबिक आराजी के नवीन नाप से 1.08 हैक्टेयर रकबा बनता है फिर भी भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी अधिकार के अपीलान्ट वादी का रकबा 1.03 हैक्टेयर दर्ज कर 0.05 हैक्टेयर नवीन आराजी नम्बर 273 रकबा 1.60 हैक्टेयर मे सम्मिलित कर दिया तथा उसी अनुसार नक्शा तरमोम कर दिया जिससे अपीलान्ट वादी नवीन आराजी नम्बर 273 रकबा 1.60 हैक्टेयर मे से 0.05 हैक्टेयर भूमि जो आराजी के उत्तरी कोने की है पर काबिज है उसी अनुसार घोषणा कराने का अधिकारी होने से अपीलान्ट वादी का वाद घोषणात्मक डिक्री इन्द्राज दुरूस्ती पेश है। अपीलान्ट वादी के पूर्व मे साबिक आराजी से 5 बीघा रकबा दर्ज रहा तथा वर्तमान मे वादी अपीलान्ट 1.08 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिससे अपीलान्ट वादी कब्जा मुखालफाने के आधार पर भी आराजी नम्बर 273 रकबा 1.60 हैक्टेयर मे से 0.05 हैक्टेयर की डिक्री पाने का अधिकारी है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियो ने अपीलान्ट वादी के 0.05 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर बिनालानाम दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के हिस्से मे दर्ज कर दिया जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण अपीलान्ट वादी को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है जिनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराया जाना आवश्यक होने से वादपत्र वादी अपीलान्ट अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए उक्त पत्रावली को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट एराल मे नियत की जाकर बिना किसी साक्ष्य सबुत व बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए यह मानते हुए कि अपीलान्ट वादी का वादपत्र अस्पष्ट है वह किस आराजी के रकबे मे से कमी रकबा चाह रहा है। आराजी नम्बर 273 के रकबे पर वास्तविक कब्जे की स्थिति को भी अपीलान्ट वादी स्पष्ट नही कर पाया है जिससे अपीलान्ट वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील म्याद बाहर होने से म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963, मय शपथ पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट वादी की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 273 की जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 व नामान्तकरण सं. 41 स्वीकृत दिनांक 13.06.1989 नकल जमाबन्दी संवत् 2054-2057 आराजी नम्बर 273 नकल जमाबन्दी संवत् 2062-2065, नकल नामान्तकरण सं. 138 स्वीकृत दिनांक 12.01.1999, नामान्तकरण सं. 139,140 स्वीकृत दिनांक 12.01.1999 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां होकर विवादित आराजीयात से सम्बन्धित होने से उक्त दस्तावेज जो आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये है। प्रकरण से सुसंगत होने से उक्त दस्तावेजो को रेकार्ड पर लिये जाते है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी के साबिक सेटलमेन्ट मे मोजा चित्तौडी तहसील चित्तौड़गढ की साबिक आराजी नम्बर 170/124 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड रही है। मोजा चित्तौडी तहसील चित्तौड़गढ का वर्ष 1982-83 मे भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा भू-प्रबन्ध किया गया। भू-प्रबन्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

अधिकारियो ने अपीलान्ट वादी की साबिक आराजी नम्बर 170/124 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 231 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 233 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 234 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर रकबा कायम किया गया जबकि नवीन सेटलमेन्ट मे नवीन नाप के अनुसार 1.08 हैक्टेयर रकबा बनना चाहिये था। उक्त रकबा 0.05 हैक्टेयर कम कर नवीन आराजी नम्बर 273 रकबा 1.60 हैक्टेयर मे सम्मिलित कर दिया जिसकी घोषणा कराये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वास्ते साक्ष्य वादी विचाराधीन था व बिना किसी सूचना के उक्त पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.06.2015 नियत होते हुए दिनांक 29.05.2015 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर अपरिपक्व पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा स्थाई निशेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ। इसी दरम्यान अपीलान्ट वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 व आदेश 7 नियम 14 जाप्ता दिवानी का आवेदन प्रस्तुत किया। गवाह मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी विचाराधीन होकर उक्त पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.06.2015 नियत थी। उससे पूर्व ही बिना सूचना दिये पत्रावली दिनांक 29.05.2015 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर अपरिपक्व पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है जो आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री स्वीकार योग्य नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 15/2012 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे नव-निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 05.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)